न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(एस०सी०/एस०टी०एक्ट), सन्त कबीर नगर।

(UPSK010008812026)

फौजदारी प्रकीर्ण वाद संख्या–82/2026

विन्द्रावती–––बनाम ––– धर्मेन्द्र आदि

अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस

थाना–धनघटा, जनपद–संत कबीर नगर

दिनांक–12.06.2026

1- पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आज आदेशार्थ नियत है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी.एन.एस.एस. पर प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व नियत तिथि पर सुना जा चुका है।

2- प्रार्थिनी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 173(4) बी.एन.एस.एस. प्रस्तुत कर संक्षेप में यह कथन किया गया है कि दिनांक–25.10.2025 शाम लगभग 4:00 बजे मेरा पुत्र महेन्द्र किसी काम से सड़क के किनारे खड़ा था। उसी समय गांव के ही धर्मेन्द्र पुत्र टीमल उर्फ राधेश्याम ट्रैक्टर पर सवार होकर आये, मेरे पुत्र को पीछे से टक्कर मार दिये, जिससे मेरा पुत्र गिरकर चोटिल हो गया। मेरे पुत्र ने सिर्फ इतना ही कहा, "कैसे चला रहे हो भैय्या इसी बात पर धर्मेन्द्र व उनका साथी ट्रैक्टर से उतरकर मेरे बेटे को माँ–बहन की भद्दी–भद्दी गाली देते हुए जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने लगे। प्रार्थी विरोध किया उसी दौरान प्रार्थिनी तथा गांव के लोग इक्ट्ठा हो गये मेरे बेटे ने गाली देने से विरोध किया उक्त दोनो लोग मेरे बेटे को लात घूंसे से मारने लगे, और जोर–जोर से जाति सूचक शब्द चमार की औलाद गाली देने लगे और ट्रैक्टर से दबाकर जान से मार डालने की धमकी देने लगे। अभियुक्तगण के मारने से मेरे पुत्र को प्राणघातक चोटे आयीं वह बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा लोगों के बीच बचाव करने पर मेरे पुत्र की जान बची। तत्काल बेटे को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हँसर बाजार जाकर इलाज कराया तो डाक्टर ने कुल्हे का एक्सरे कराने को कहा एक्सरे कराने पर पता चला कि मेरे बेटे का कुल्हा टूट गया है दवा इलाज अभी भी चल रहा है। बेटे को डाक्टर ने बेड रेस्ट करने को कहा है। घटना की सूचना उसी दिन थाना–धनघटा में दिया लेकिन पुलिस ने न तो बेटे का मेडिकल कराया और न ही मुकदमा लिखा। बेटे की दवा

Digitally signed by CHANDRA MOHAN SRIVASTAVA
Date: 2026.06.12 16:45:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

इलाज से छुट्टी पाकर मजबूरन दिनांक–29.10.2025 को मा० पुलिस अधीक्षक महोदय, संत कबीर नगर को रजिस्टर्ड पत्र दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। प्रार्थना पत्र के माध्यम से यह याचना की गई है कि थानाध्यक्ष धनघटा को आदेशित किया जाय कि वह मुल्जिमानों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर उचित दण्डात्मक कार्यवाही करें।

3– प्रार्थिनी द्वारा अपने कथन के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र एवं प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में आधार कार्ड की छायाप्रति, पुलिस अधीक्षक को भेजे गये प्रार्थना पत्र की छायाप्रति, दवा इलाज पर्ची की छायाप्रति, रजिस्ट्री रसीद प्रस्तुत की गई है।

4– उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर थाना धनघटा से आख्या आहूत की गई। थाना धनघटा द्वारा प्रार्थना पत्र पर यह आख्या प्रस्तुत की गई है कि प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र संख्या-82/2026 की आवेदिका विन्द्रावती पत्नी सतीराम निवासी ग्राम डिहवा, थाना धनघटा, जनपद संत कबीर नगर के प्रार्थना पत्र के संबंध में थाने की आख्यानुसार थाना हाजा पर उक्त के संबंध में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

5– मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थिनी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में घटना के दिनांक, समय व स्थान पर विपक्षी धर्मेन्द्र द्वारा प्रार्थिनी के पुत्र को ट्रैक्टर पर सवार होकर पीछे से टक्कर मारने, माँ-बहन की भद्द-भद्दी गालियाँ देने, विरोध करने पर उसके पुत्र को लात-घूसा से मारने-पीटेने, जातिसूचक अपशब्दों का प्रयोग करने, जिससे उसके पुत्र को प्राणघातक चोटे आने तथा डॉक्टर द्वारा एक्स-रे करना पर कुल्हा टूटना बताने का कथन किया गया है। प्रार्थिनी के प्रार्थना पत्र से विदित होता है कि प्रार्थिनी को घटना के समस्त तथ्य एवं गवाहन के नाम ज्ञात हैं। प्रकरण इस प्रकार का नहीं है जिसमे विवचेना से कोई अन्य तथ्य उदघटित होना शेष हो। प्रस्तुत मामले में पुलिस से विवेचना कराये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। **मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था श्रीमती प्रियंका श्रीवास्तव आदि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (क्रिमिनल अपिल संख्या-781/2012 निर्णय दिनांकित 29.03.2015 एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की विधि व्यवस्था सुखवासी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2007(59) Scc739) में प्रतिपादित विधि व्यवस्था** को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा-173(4) BNSS परिवाद के रूप में दर्ज कर न्यायालय द्वारा जाँच किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

6– प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा– 173(4) BNSS परिवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली वास्ते बयान परिवादी अंतर्गत धारा-223 BNSS दिनांक-09.07.2026 को पेश हो।

12.06.2026

(चन्द्रमोहन श्रीवास्तव)
विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट)
सन्त कबीर नगर।
जे०ओ०कोड–UP01540